पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 67

पंचायती राज मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	...	...	...	...	...	30.60	0.44	31.04
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**30.60**	**0.44**	**31.04**
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं:	3451	...	...	...	...	...	...	...	0.44	0.44
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
2. पंचायत विकास और प्रशिक्षण	2515	...	...	...	...	...	...	22.54	...	22.54
	3601	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*27.54*	...	*27.54*
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	3.06	...	3.06
कुल जोड़		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**30.60**	**0.44**	**31.04**

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. पंचायत विकास और प्रशिक्षण	12515	...	...	...	...	...	...	27.54	...	27.54
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	3.06	...	3.06
जोड़		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**30.60**	**...**	**30.60**

1. यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. पंचायती राज मंत्रालय हेतु वर्ष 2004-05 के लिए 30.60 करोड़ रुपए का केन्द्रीय परिव्यय रखा गया है जिसमें से 3.06 करोड़ रूपए की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित की गई है। पहले यह प्रावधान अंतरिम बजट 2004-05 में ग्रामीण विकास विभाग के बजट अनुदान में दर्शाया गया था। तथापि, 27.5.2004 से पंचायती राज मंत्रालय का गठन किए जाने के पश्चात, इस प्रावधान को ग्रामीण विकास विभाग के बजट अनुदान से पंचायती राज मंत्रालय में अंतरित कर दिया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य संवैधानिक (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की मानिटरिंग करना तथा इस बात को सुनिश्चित करना है कि राज्य अधिनियमों का अधिनियमन उपर्युक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो। पंचायत विकास तथा प्रशिक्षण योजना का लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, अनुसंधान संबंधी अध्ययनों को वित्तपोषित करना, कार्यशालाओं और गोष्ठियों का संचालन, पीआरआई को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना, पीआरआई के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना तथा सर्वोत्तम पंचायतों के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था करना है।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें सिक्किम भी शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था की गई है।